सरवाड़

8.5.18 पत्रावली अटल सेवा केन्द्र शेरगढ़ न्याय आपके जर 2018 मे पेश हुई। पक्षकारान के वकील अभिभाषक उपस्थित। उन्हे सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बागड़ी की जमाबंदी संवत् 2067-70 के खाता सं. नया पुराना 68-67 किता उरक्बा 18-03-00 बीघा की खातेदारी घोषणा हेतु वादीगण ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92A, 239 RTA Act का प्रस्तुत किया तथा उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RT Act का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं० 3 के पिता गोरधन व प्रतिवादी सं० 1 सगे भाई है। अप्रार्थी सं० 1 आज से 60 वर्ष पूर्व रंगलाल जी जकौत निवासी केकड़ी को रिश्ते मे दादा लगते है गोद चले गए थे तभी से वे उनकी चल अचल सम्पत्ति पर काबिज चले आ रहे है एवं उनका अपने जन्म के परिवार की सम्पति से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 3 के पिता गोरधन की मृत्यु दो साल पूर्व हो चुकी है तभी से अप्रार्थी सं० 1 की नियत खराब हो गयी है तथा वह आराजी प्रार्थना पत्र मे वर्णित को बेचने की धमकी दे रहा है अतः उसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक पाबंद किया जावे। अप्रार्थी सं० 1 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं० 1 की ओर से उनके अभिभाषक श्री मोहन सिंह राठौड़ ने हाजर जवाब प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी श्री सज्जन कुमार ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया। अप्रार्थी संख्या 1 के लायक वकील ने जवाब मे अंकित कथनो को दोहराया।

मैंने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया।

१६ बहस विद्वान अभिभाषकगण पर गौर किया। ग्राम बागड़ी की वाद वर्णित आराजी गोरधन, जगदीश पिता गणपत कौम जकौत साकिन देह

खातेदार दर्ज है प्रार्थीगण का कथन है कि जगदीश, रंगलाल के गोद चला गया है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पर उसका हक अधिकार नहीं रहा है अपने कथन के समर्थन में 14.12.2000 की लिखतम 5 रु के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पत्र की छाया प्रति संलग्न फाइल की है वहीं अप्रार्थी का जवाब है कि वाद वर्णित आराजी प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थी सं. 1 को संयुक्त रूप से दिनांक 20.6.84 आवंटन हुई है तथा यह पैतृक सम्पत्ति नहीं है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मिथ्या कथनों पर आधारित प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं. 1 रंगलाल के कभी गोद नहीं गया है। लिखतम दिनांक 14.12.2000 जाल साजी व धोखाधड़ी से लिखी गई है।

अतः प्रार्थना पत्र के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात इजमालीया है, लिखतम पर निर्णय बाद शहादत मूल वाद में तय होगा - तब तक विवादित आराजी की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है ताकि वाद बहुलता को रोका जा सके। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व मोकामा सं. 3 को पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें, कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें दीगर को स्थानांतरित नहीं करें। अप्रार्थी सं. 2 विक्रय पत्र पंजीयन इस आराजी बाबत नहीं करे। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का निर्धारण नहीं करता है, हक अधिकार का प्रश्न मूल वाद से तय होगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करें।

आदेश मजमे आम अटल सेवा केन्द्र शेरगढ़ में सुनाया गया।

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

प्रधान
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.01.07 14:28:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: